उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-04/2021/4840/41-2020-91(बजट)/2019

लखनऊ दिनांक 04 जनवरी, 2021

संख्या-300/2020/4348/41-2020-91(बजट)/2019 दिनांक 07 दिसम्बर 2020

का शुद्धि पत्र

जनपद बस्ती में चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग के पडाव स्थुल राम रेखा के पर्यटन विकास की परियोजना हेतु तृतीय किश्तर की वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-300/2020/4348/41-2020-91(बजट)/2019 दिनांक 07 दिसम्बर 2020 के संदर्भ में महानिदेशक, पर्यटन के पत्रांक-4898/6-1-1/(45)/मु0मं0घो0/2019-20 दिनांक 30-12-2020 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त स्वीकृति विषयक शासनादेश के प्रस्तर-2 एवं प्रस्तर-3 के उप प्रस्तर-1 में त्रुटिवश प्रायोजना हेतु पूर्व में जारी शासनादेश संख्या-176/2020/1152/41-2020-91(बजट)/2019, दिनांक 07-08-2020 के स्थान पर शासनादेश संख्या- /2020/4348/41-2020-91(बजट)/2019, दिनांक 07 अगस्त 2020 अंकित हो गया है।

2. अत: एतद्द्वारा शासनादेश संख्या-300/2020/4348/41-2020-91(बजट)/2019 दिनांक 07 दिसम्बर 2020 के प्रस्तर-2 एवं प्रस्तर-3 के उप प्रस्तर-1 में अंकित शासनादेश संख्या- /2020/4348/41-2020-91(बजट)/2019, दिनांक 07 अगस्त 2020 को **को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर** शासनादेश संख्या-176/2020/1152/41-2020-91(बजट)/2019, दिनांक 07-08-2020 **अंकित किया जाता है।**

3- शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-04/2021/4840(1)/41-2020-91(बजट)/2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निजी सचिव ,प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग,उ0प्र0 शासन।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम , लखनऊ।
7- परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम ,इकाई-34 बस्ती।
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
10- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, बस्ती।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.nic.in